

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 220

ANSWERED ON MONDAY, 20 JULY, 2026/ASHADHA 29, 1948 (SAKA)

Unclaimed Money/Deposits with LIC and EPFO

220. DR. M K VISHNU PRASAD:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- a) the total amount of unclaimed money/deposits lying with the Life Insurance Corporation of India (LIC) and Employees Provident Fund Organisation (EPFO);
- b) the steps taken by the LIC of India and EPFO to identify and return such unclaimed deposits to the account holder or nominee or legal heirs;
- c) whether the Government has any proposals for utilisation of such unclaimed funds after a period of time; and
- d) if so, the details thereof?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a): Total amount of Unclaimed money with Life Insurance Corporation of India (LIC) as at 31st March 2026 is given below:-

Particulars	Amount (in ₹ Crore)
Unclaimed amount of Policyholders	5564.55
Income accrued on Unclaimed amount	1753.95
Total	7318.50

As informed by Ministry of Labour and Employment, Government of India, there are no unclaimed accounts. However, certain accounts are classified as Inoperative accounts. The total amount lying in the inoperative EPF accounts, under para 72(6) of EPF Scheme, 1952 (now replaced by para 55 of EPF Scheme, 2026), as on 31.03.2026 is ₹ 9330.56 crores.

(b): Outreach and awareness activities are carried out to identify and return such unclaimed deposits to the eligible beneficiaries.

Steps taken by LIC of India to identify and return such unclaimed amount to policyholders is at Annexure-I.

The various actions taken by EPFO, as informed by Ministry of Labour and Employment is at Annexure-II.

(c) & (d): As per Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) Master Circular on Operations and Allied Matters of Insurers dated 19.06.2024, the amount lying unclaimed for more than 10 years has to be transferred to Senior Citizen Welfare Funds (SCWF) managed by Ministry of Social Justice and Empowerment. Every year, LIC is transferring the eligible amount on or before 1st March. As informed by Ministry of Labour and Employment, at present there is no proposal for utilisation of these funds for any other purposes.

Annexure I referred to in reply to LOK SABHA Un-Starred Question No. 220 for 20.07.2026

Following are the steps taken by the LIC of India to identify and return such unclaimed amount to policyholders:-

1. Policyholders can search any unclaimed amount due from LIC through official website of LIC (www.licindia.in) by entering Date of Birth and his/her name/ PAN.
2. Branches/Divisional Offices are following up on last updated address of the policyholders by sending letters. Regular SMS are sent on registered Mobile Nos. to submit the requirements as a reminder.
3. As the data pertains to outstanding amount of last 10 years, follow up for obtaining claim requirements and NEFT details from the customer is being made for payment of such unclaimed amounts by Branch/Divisional Offices by exploring all possible avenues.
4. Pin code wise address of the policyholders are shared with the LIC agents of the respective areas for follow up on unclaimed amounts. Local agents visit the address of the policyholders for submission of requirements and settlement of claims. They also try to get the new address/contact nos. of the policyholders by visiting neighbors, contacting nearby shops, Grampanchayat, etc.
5. Agents/Development Officials are also following up with policyholders for submission of requirements and settlement of claims using their network. Bima Sakhi are trying to trace the policyholders in respective area of operation with details provided by LIC branch officials for settlement of unclaimed amount.
6. LIC has engaged the services of Credit Bureau Agency to trace the details i.e. Address, Mobile Nos. of these policyholders/beneficiaries.
7. LIC actively participated in the campaign launched by Ministry of Finance (MOF), namely "Your Money-Your Right" during the period from October, 2025 to December, 2025. During the campaign, Government conducted camps in each district where LIC was one of the participant. Banners were displayed in the camps and 2048 LIC Branches for creating awareness and sensitizing policyholders. Based on amount payable, the cases were allotted to marketing officials for follow up during the campaign period.
8. LIC is publishing advertisements on pan India basis in English, Hindi and 13 regional languages for awareness and settlement of unclaimed amounts.

Annexure II referred to in reply to LOK SABHA Un-Starred Question No. 220 for 20.07.2026

The various actions taken by EPFO are as follows:-

1. Inoperative EPF accounts were identified and categorized based on the availability and status of the KYC details.
2. The Central Board of Trustees, EPFO has approved a pilot project for auto-initiation of claim settlement in Aadhaar verified inoperative EPFO accounts with unclaimed balances of ₹ 1,000 or less.
3. The amount are being credited to the members' Aadhaar-seeded bank accounts without requiring fresh claims or documentation, significantly simplifying the process and helping members receive their dues faster. The said project is underway and are likely to be replicated after due diligence for other amount slabs.
4. Outreach and awareness initiatives through social media platforms were carried out including the organisation of Nidhi Aapke Nikat (NAN) 2.0 camps to disseminate information among employers and employees regarding EPF services and unclaimed deposits in Inoperative accounts.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 220

जिसका उत्तर सोमवार, 20 जुलाई, 2026/29 आषाढ़, 1948 (शक)को दिया गया

एलआईसी और ईपीएफओ के पास बिना दावे वाला धन/जमा राशि

† 220. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पास कुल कितना बिना दावे वाला धन/जमा राशि पड़ी है;
- (ख) एलआईसी और ईपीएफओ द्वारा ऐसी अदावीजमाराशियों की पहचान करने और उन्हें खाताधारक अथवा नामित व्यक्ति अथवा कानूनी उत्तराधिकारियों को लौटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या सरकार के पास एक समयावधि के बाद ऐसी अदावीनिधि के उपयोग का कोई प्रस्ताव है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): 31 मार्च 2026 तक भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के पास अदावी कुल राशि निम्नानुसार है:-

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
पॉलिसीधारकों की अदावी राशि	5564.55
अदावीराशि पर अर्जित आय	1753.95
कुल	7318.50

श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कोई अदावी खाता नहीं है। हालांकि, कुछ खातों को निष्क्रिय खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 31.03.2026 तक ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 72(6) (अब ईपीएफ योजना, 2026 के पैरा 55 द्वारा प्रतिस्थापित) के तहत निष्क्रिय ईपीएफ खातों में कुल राशि 9330.56 करोड़ रुपये है।

(ख): पात्र लाभार्थियों को ऐसी अदावी जमाराशियों की पहचान करने और उन्हें वापस करने के लिए आउटरीच और जागरूकता गतिविधियां चलाई जाती हैं।

पॉलिसीधारकों को ऐसी अदावी राशि की पहचान करने और वापस करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उठाए गए कदम अनुबंध-I में दिए गए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ईपीएफओ द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाइयां अनुबंध-II में दी गई हैं।

(ग) एवं (घ): भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के बीमाकर्ताओं के परिचालन और संबद्ध विषयों संबंधी दिनांक 19.06.2024 के मास्टर परिपत्र के अनुसार, 10 वर्षों से अधिक समय से अदावी राशि को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रबंधित वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष (एससीडब्ल्यूएफ) में स्थानांतरित किया जाना है। प्रत्येक वर्ष, एलआईसी 1 मार्च को या उससे पहले पात्र राशि अंतरित कर रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्तमान में इन निधियों के उपयोग का किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

20.07.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 220 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध I

पॉलिसीधारकों को ऐसी अदावी राशि की पहचान करने और वापस करने के लिए भारतीय एलआईसी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. पॉलिसीधारक एलआईसी (www.licindia.in) की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एलआईसी से देय किसी भी अदावीकृत राशि की खोज कर सकते हैं।
2. शाखाएं/मंडल कार्यालय पत्र भेजकर पॉलिसीधारकों के अंतिम अद्यतन पते पर अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं। अनुस्मारक के रूप में आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर नियमित एसएमएस भेजे जाते हैं।
3. चूंकि डेटा पिछले 10 वर्षों की बकाया राशि से संबंधित है, इसलिए सभी संभावित तरीकों की खोज करके शाखा/मंडल कार्यालयों द्वारा ऐसी अदावी राशि के भुगतान के लिए ग्राहक से दावा आवश्यकताओं और एनईएफटी विवरण प्राप्त करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।
4. पॉलिसीधारकों के पिन कोड वार पते को संबंधित क्षेत्रों के एलआईसी एजेंटों के साथ साझा किया जाता है ताकि अदावी राशि पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके। स्थानीय एजेंट आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने और दावों के निपटान के लिए पॉलिसीधारकों के पते पर जाते हैं। पॉलिसीधारकों के पड़ोसियों के पास जाकर, आस-पास की दुकानों, ग्राम पंचायतों आदि से संपर्क करके पॉलिसीधारकों का नया पता/संपर्क नंबर प्राप्त करने का भी प्रयास करते हैं।
5. एजेंट/विकास अधिकारी भी अपने नेटवर्क का उपयोग करके आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने और दावों के निपटान के लिए पॉलिसीधारकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं। बीमा सखी अदावी राशि के निपटान के लिए एलआईसी शाखा के अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए विवरण के साथ संबंधित क्षेत्र में पॉलिसीधारकों का पता लगाने का प्रयास कर रही हैं।
6. एलआईसी ने इन पॉलिसीधारकों/लाभार्थियों के विवरण यानी पता, मोबाइल नंबर का पता लगाने के लिए क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी को नियुक्त किया है।
7. एलआईसी ने अक्टूबर, 2025 से दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा शुरू किए गए अभियान, जिसका नाम "योर मनी-योर राइट" है, में सक्रिय रूप से भाग लिया। अभियान के दौरान, सरकार ने प्रत्येक जिले में शिविर आयोजित किए, जहां एलआईसी भी भागीदार थी। पॉलिसीधारकों के बारे में जागरूकता सृजन करने और उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए शिविरों और एलआईसी की 2048 शाखाओं में बैनर प्रदर्शित किए गए। देय राशि के आधार पर, अभियान अवधि के दौरान अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विपणन अधिकारियों को मामले आवंटित किए गए थे।
8. एलआईसी अदावी राशियों के बारे में जागरूकता और उनका निपटान करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन प्रकाशित कर रहा है।

20.07.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 220 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध II

ईपीएफओ द्वारा की गई विभिन्न कार्रवाइयां निम्नलिखित हैं: -

1. निष्क्रिय ईपीएफ खातों की पहचान की गई और केवाईसी विवरण की उपलब्धता और स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया गया।
2. ईपीएफओ के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने 1,000 रुपये या उससे कम की अदावी शेष राशि वाले आधार सत्यापित निष्क्रिय ईपीएफओ खातों में दावों के निपटान की स्वतः शुरुआत के लिए एक पायलट परियोजना को मंजूरी दे दी है।
3. नए दावों या दस्तावेजों की आवश्यकता के बिना सदस्यों के आधार-सीडेड बैंक खातों में राशि जमा की जा रही है, जिससे प्रक्रिया काफी सरल हो गई है और सदस्यों को अपना बकाया त्वरित रूप से प्राप्त करने में मदद मिल रही है। उक्त परियोजना पर काम चल रहा है और अन्य राशि के स्लैब के लिए उचित परिश्रम के बाद इसे दोहराए जाने की संभावना है।
4. ईपीएफ सेवाओं और निष्क्रिय खातों में लावारिस जमा राशि के संबंध में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच जानकारी का प्रसार करने के लिए निधि आपके निकट (एनएएन) 2.0 शिविरों के आयोजन सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आउटरीच और जागरूकता पहल की गई।
